

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 204 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 23 / 04 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. मोहर सिंह बघेल पुत्र बारेलाल बघेल, उम्र 36 वर्ष।
निवासी :- ग्राम नावली, थाना :- गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 09 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी मोहर सिंह पर धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 12 / 02 / 2015 की दोपहर लगभग 03:20 बजे भिण्ड—ग्वालियर हाईवे लोकमार्ग स्थित रामचरन पुजारी के मकान के सामने गोहद चौराहा पर, उसके आधिपत्य के इन्द्रप्रस्थ स्कूल की बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत की मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./4799 में टक्कर मारकर उस पर सवार आहत सुनील को उपहति एवं मनोज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 12 / 02 / 2015 की दोपहर लगभग 03:20 बजे भिण्ड—ग्वालियर हाईवे लोकमार्ग स्थित रामचरन पुजारी के मकान के सामने गोहद चौराहा पर, इन्द्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल की बस के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./4799 में टक्कर मारकर उस पर सवार आहत सुनील एवं मनोज को उपहति कारित करने की देहाती नालसी फरियादी सुनील गुप्ता द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, इन्द्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल की बस के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर इन्द्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल की बस के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/15 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत मनोज के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी मोहर

सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी मोहर सिंह द्वारा पेश करने पर बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 मय दस्तावेज की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी गजेन्द्र सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी/आहत सुनील एवं मनोज के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त मोहर सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मोहर सिंह ने दिनांक :- 12/02/2015 की दोपहर लगभग 03:20 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे लोकमार्ग स्थित रामचरन पुजारी के मकान के सामने गोहद चौराहा पर, उसके आधिपत्य के इन्द्रप्रस्थ स्कूल की बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत की मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./4799 में टक्कर मारकर उस पर सवार आहत सुनील को उपहति एवं मनोज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष **विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

07. साक्ष्य विवेचना मे सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी सुनील गुप्ता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 12/02/2015 के दोपहर साढ़े तीन-चार बजे की है। वह अपनी मोटर साईकिल प्लेटिना एम.पी.30/4799 से गोहद से ग्राम छीमका जा रहा था। गाड़ी उसका भाई मनोज चला रहा था,

तभी ग्वालियर की तरफ से एक चालक बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये लाया, जिसका नम्बर आर.जे.14/पी./4361 था और उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। उस समय वह और उसका भाई दोनों बेहोश हो गये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद चौराहा में लिखाई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके पैरों में चोट आई थी एवं उसके भाई के सिर में चोट आई थी। उपरोक्त घटना की देहाती नालसी प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी सुनील अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने देहाती नालसी प्र.पी.01 में और पुलिस कथन प्र.डी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर नहीं लिखाया था। देहाती नालसी प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.डी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का कोई नम्बर दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आहत सुनील अ.सा.01 को उक्त दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर निश्चय ही पश्चात्वर्तीय प्रक्रम पर मालूम हुआ है। वैसे भी सुनील अ.सा.01 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया कि उसे दुर्घटनाकारित करने वाली बस का क्रमांक कब और किससे ज्ञात हुआ। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुनील अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक को नहीं जानता और ना ही उसके पहचान सकता। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में बस क्रमांक आर.जे.14./पी./4361 एवं दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक के रूप में आरोपी मोहर सिंह की पहचान के संबंध में सुनील अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद है।

09. आहत/साक्षी मनोज गुप्ता अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मोहर सिंह को जानता है। वह फरियादी सुनील गुप्ता को भी जानता है। दिनांक : 12/02/2015 को उसका एक्सीडेंट हो गया था। वह ग्राम छीमका से गोहद के लिए मोटर साईकिल से आ रहा था। उक्त मोटर साईकिल वह चला रहा था एवं पीछे सुनील बैठा हुआ था। तभी सामने से आती हुई इन्द्रप्रस्थ स्कूल की बस क्रमांक आर.जे.14/पी./4361, ने रॉग साइड में आकर उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर मारने वाली बस की रफ्तार करीबन 50-60 किलोमीटर/प्रतिघण्टा होगी। टक्कर लगने से उसके बाये हाथ के पंजे एवं सिर में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि वह दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहे आरोपी मोहर सिंह को शक्ल से पहचानता है। साक्षी आगे कहता है कि उसे पहले गोहद अस्पताल लेकर गये थे, फिर बाद में उसका ईलाज सहारा हॉस्पिटल में हुआ था। टक्कर लगने से सुनील के पैर में फ्रैक्चर हुआ था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में मनोज अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक से परिचित नहीं था। ऐसी दशा में साक्षी मनोज अ.सा.04 द्वारा मुख्य परीक्षण में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी मोहर सिंह को पहचानना संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मनोज अ.सा.04 का कहना है कि मोटर साईकिल वह स्वयं बिना हैलमेट लगाये चला रहा था और उस पर मोटर साईकिल चलाने का कोई लाईसेंस भी नहीं है। यह तथ्य साक्षी मनोज की योगदायी उपेक्षा को दर्शित करता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मनोज अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जैसे ही दुर्घटना हुई वैसे ही वह बेहोश हो गया था और लगभग चार-पाँच दिन बाद उसे हॉस्पिटल में होश आया था और उसे यह नहीं पता कि दुर्घटनास्थल पर दुर्घटनाकारित करने वाली बस रूकी थी, अथवा नहीं। ऐसी दशा में दुर्घटना के तत्काल पश्चात् बेहोश हो जाने के कारण साक्षी मनोज अ.सा.04 द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर एवं आरोपी चालक को पहचान लेने का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि मनोज अ.सा.04 ने उसके पुलिस कथन में यह दर्शित किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर उसे बाद में उसके चचेरे भाई सुनील अ.सा.01 ने बताया था। मनोज अ.सा.04 के पुलिस कथन में दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक के रूप में आरोपी मोहर सिंह की पहचान के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इस प्रकार मनोज अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 एवं दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक के रूप में आरोपी मोहर सिंह की पहचान संबंधी कोई तथ्य स्थापित नहीं होते हैं।

11. अभियोजन साक्षी किशनलाल अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 12/02/2015 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी सुनील गुप्ता द्वारा सीएचसी गोहद में इन्द्रप्रथ पब्लिक स्कूल के बस चालक के विरुद्ध देहाती नालसी लेखबद्ध कराई थी, उक्त देहाती नालसी प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा थाने पर देहाती नालसी पर बस चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/2015 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द. सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी सुनील गुप्ता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही सुनील कुमार एवं मनोज कुमार को मेडीकल परीक्षण हेतु गोहद चिकित्सालय भेजा था तथा उक्त दिनांक को ही साक्षी सुनील गुप्ता का कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था एवं उसके द्वारा दिनांक : 26/03/2015 को साक्षी मनोज के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी मोहर सिंह से इन्द्रप्रस्थ स्कूल की बस क्रमांक आर.जे.

14/पी/4361 मय रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं आरोपी के ड्रायविंग लाईसेंस सहित जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही गजेन्द्र सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिकरवार से जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक किशनलाल अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत सुनील ने उसके कथनों में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाली बस के चालक का नाम एवं बस का क्रमांक नहीं बताया था और साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध कराते समय फरियादी सुनील के साथ मनोज अ.सा.04 मौजूद था। ऐसी दशा में जबकि स्वयं सुनील अ.सा.01 को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक एवं आरोपी चालक की पहचान मालूम नहीं था, तब उसके द्वारा मनोज अ.सा.04 को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम बताया जाना पूर्णतः असत्य प्रतीत होता है।

13. डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.02, डॉ.एम.पी.बरूआ अ.सा.03 एवं डॉ.बी.के. गुप्ता अ.सा.05 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहतगण को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी मोहर सिंह ने दिनांक :- 12/02/2015 की दोपहर लगभग 03:20 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे लोकमार्ग स्थित रामचरन पुजारी के मकान के सामने गोहद चौराहा पर, उसके आधिपत्य के इन्द्रप्रस्थ स्कूल की बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत की मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.बी./4799 में टक्कर मारकर उस पर सवार आहत सुनील को उपहति एवं मनोज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी मोहर सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मोहर सिंह को भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बस क्रमांक आर.जे.14./पी/4361 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुरजीत सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद